

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्रतिभार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 1983/वैशाख 20, 1905
No. 24] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 1983/VAISAKHA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निबंधन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1983

का. अ. 47(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वा-
चन आयोग यह निवेदन करता है कि उसकी तारीख 19 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना सं.
434/ज.क.लो.स./83 द्वारा पश्चातवर्ती यथा संशोधित उसकी तारीख
17 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में—

- (1) मद 1. "1-बारामूला संसदीय विनियम-क्षेत्र का रिटोर्नंग ऑफिसर"
के सामने, विद्यमान संख्यांकित 11 और 13 प्रविष्टियों के स्थान

पर-11. मुख्य पशुपालन अधिकारी, बामूला, 13. अधीक्षक
इंजीनियर, उत्पादन और पारेषण, सर्किल-2, बामूला, प्रवि-
ष्टियाँ और—

(2) मद्र 2. “2-श्रीनगर संसदीय-निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर”
के सामने ,

(क) विद्यमान संख्यांकित 3 प्रविष्टि के स्थान पर, “3. निदेशक,
बागदानी, श्रीनगर” प्रविष्टि और—

(ख) विद्यमान संख्यांकित 13 और 14 प्रत्येक प्रविष्टि के स्थान पर,
“कार्यपाक इंजीयर, मुफकियल डिविजन आर व बी बहगाम”
प्रविष्टि क्रमशः रखी जाएगी ।

[सं. 434/ज.क.-लो.स./83 (2)]

आदेश से,

ओं. ना. नागर, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1983

O.N. 47(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434/J&K-HP/79(1) dated the 17th October, 1979, as subsequently amended by its Notification No. 434/J&K-HP/83 (2) dated 19th April, 1983 :—

In column 2 of the Table appended to the said notification,—

- (1) against item 1, 'Returning Officer of 1-Baramulla Parliamentary constituency; for the existing entries numbered 11 and 13 the entries—
11. Chief Animal Husbandry Officer, Baramulla, 13. Superintending Engineer Generation & Transmission Circle-II, Baramulla, and
- (2) against item 2, 'Returning Officer of 2-Srinagar Parliamentary constituency'
(a) for the existing entry numbered 3 the entry “3. Director, Horticulture, Srinagar” and

(b) for each of the existing entry numbered 13 and 14 the entry
"Executive Engineer, Mufasil Division R & B Badgam".

shall respectively be substituted.

[No. 434/J&K-HP/83(2)]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.

Election Commission of India

